राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –2027–दो/02 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९ .10.2015	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री के0 डी0 दीक्षित उपस्थित । उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 226–दो/97 आदेश दिनांक 3.5.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 2027–दो/2002 के तथ्यों पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 226–दो/1997 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 3.5.2002 से किया जा चुका है ।	

रिव्यु –2027–दो / 2002

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यंह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य

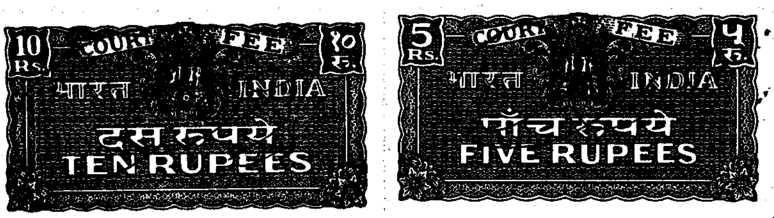

GF/515/-1

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू 2027-II/2002 पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

श्री ... द्वारा आज दि. 20/8/2002 प्रस्तुत
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
20 AUG 2002

1. बालमुकुन्द नायक
2. पुरूषोत्तम नायक
3. नारायणदास नायक

पुत्रगण रामसेवक नायक
निवासी ग्राम नौगांव तह. नौगांव
जिला छतरपुर

... आवेदकगण

विरूद्ध

1. भगवानचरन नायक
2. दृगचंद नायक
3. अवध नारायण नायक

पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद नायक

4. श्रीमती श्यामबाई पत्नी लक्ष्मीप्रसाद
5. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी भगवान चरन नायक

समस्त निवासीगण ग्राम दौनी, तह. नौगांव जिला छत्तरपुर

..अनावेदकगण

20/8/02
K. K. Dwivedi
Advocate

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू. राजस्व संहिता प्रकरण क्र. 226/II/97 निगरानी भगवानचरन आदि वि. बालमुकुंद नायक आदि में पारित आदेश दिनांक 3.5.02 से असंतुष्ट होकर।

मान्यवर,

यह पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगे समय को छोड़कर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

क्र...2